सोमवार को कोरोना संक्रमण के 24 हजार मामले

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

देश में सोमवार रात साढ़े ग्यारह बजे तक कोरोना विषाणु संक्रमण के 24,619 मामले दर्ज किए गए। वहीं, इस दौरान 433 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हुई। ये आंकड़े राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों की ओर से जारी किए गए।

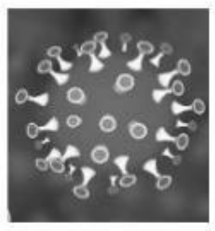

देश में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले केरल में दर्ज किए गए। केरल के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोरोना के 12,294 मामले सामने आए जबकि 142लोगों की मौत हुई। केरल के अलावा महाराष्ट्र में 4,145, तमिलनाडु में 1,851, कर्नाटक में 1,065, आंध्र प्रदेश में 909, ओड़ीशा में 868, असम में 758, पश्चिम बंगाल में 502, तेलंगाना में 405, मेघालय में 352, हिमाचल प्रदेश में 276, मणिपुर में 275, मिजोरम में 249, अरुणाचल प्रदेश में 165, जम्मू कश्मीर में 77, छत्तीसगढ़ में 68, गोवा में 62, त्रिपुरा में 52, पुदुचेरी में 49, नगालैंड में 44, पंजाब में 30, दिल्ली में 27, हरियाणा में 22, सिक्किम में 20, उत्तराखंड में 18, उत्तर प्रदेश में 17, बिहार में 14, गुजरात में 14, राजस्थान में 11, मध्य प्रदेश में सात, लद्दाख में छह, लक्षद्वीप में छह, चंडीगढ़ में दो, दादर नागर हवेली व दमन दीव में दो और अंडमान निकोबार में एक मामला दर्ज किया गया।

अब सुबह छह से रात दस बजे तक खुली रहेगी मुंबई चौपाटी

मुंबई, 16 अगस्त (भाषा।

मुंबई में कोरोना विषाणु के प्रसार को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों में ढील के बाद अब शहर में सभी बाग, खेल के मैदान, चौपाटी, समुद्र तट आदि सुबह छह बजे से रात दस बजे तक खुले रहेंगे। नगर निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने सोमवार को यह जानकारी दी।

इससे पहले इस वर्ष चार जून को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने इन स्थानों को सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति दी थी। बीएमसी ने समय निर्धारण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रविवार को 'ब्रेक द चेन' कार्यक्रम के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किए।

चहल ने सोमवार को कहा, 'मैदान, बाग, समुद्र तट सुबह छह बजे से रात दस बजे तक खुले रहेंगे।' बीएमसी ने कहा, 'राज्य सरकार की ओर से 11 अगस्त को जारी दिशा-निर्देश अगला आदेश आने तक प्रभावी रहेंगे।'

'ब्रेक द चेन' के लिए 11 अगस्त को जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन को बाग, मैदान और समुद्र तट खोलने के बारे में निर्णय लेने के अधिकार दिए थे।

उत्तर प्रदेश पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लि०

ई-निविदा आमंत्रण- निविदा सूचना संख्या-10/वि0जा0पा0मं0/आगरा/2021-22

1. ई-निविदा विशिष्टीकरण संख्या-16/वि0जा0पा0मं0/आ0/2021-22:- 132 के0वी0 उपकेन्द्र फरिहा (फिरोजाबाद) पर सिक्योरिटीवाल, मेनगेट, गार्ड हट तथा पहुँचमार्ग एवं कल्वर्ट के निमार्ण कार्य, समय अवधि 06 माह, धरोहर धनराशि रू0 236000/-, निविदा मूल्य रू0 5900+1180, अन्तिम तिथि 20.09.2021. 2. ई-निविदा विशिष्टीकरण संख्या-17/वि0जा0पा0मं0/आ0/2021-22:- 220के0वी0 उपकेन्द्र मीतई जिला हाथरस पर मल्सीफायर सिस्टम हेतु 01 अद्द ट्यूबवैल बोरिंग की स्थापना के कार्य, समय अवधि 01 माह, धरोहर धनराशि रू0 16,000/-, निविदा मूल्य रू0 1180+250, अन्तिम तिथि 20.09.2021. निविदा का विस्तृत विवरण, विस्तारीकरण शुद्धिकरण इत्यादि की सूचना ई-टेण्डर की बेवसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है, जिसको बेवसाइट के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। बैंक खाता अधिशासी अभियन्ता (ज़ानपद) आगरा A/C No.-30065294923, IFSC Code-SBIN0005717 Payable at S.B.I. Foundry Nagar (Agra). अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, ककरेटा रोड (निकट अमर उजाला प्रेस,) 220 के0वी0 उपकेन्द्र सिकन्दरा आगरा। "राष्ट्र हित में बिजली बचायें" पत्रांक: 376-वि0जा0पा0मं0आ0/निविदा/दिनांक:13.08.2021

आइवीएफ से जन्मे बच्चे के पिता की जानकारी मांगना निजता का उल्लंघन : अदालत

कोच्चि, 16 अगस्त (भाषा)।

केरल उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि 'आइवीएफ' जैसी सहायक प्रजनन तकनीकों से अकेली महिला के गर्भधारण को मान्यता दी गई है और ऐसे में इन पद्धति से जन्मे बच्चों के जन्म-मृत्यु पंजीकरण में पिता की जानकारी मांगना निश्चित तौर पर मां के साथ-साथ उस बच्चे के सम्मान के अधिकार को भी प्रभावित करता है।

अदालत ने कहा कि राज्य को ऐसी प्रक्रिया से जन्मे बच्चों के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए उचित फार्म मुहैया कराना चाहिए। उच्च न्यायालय ने फैसले में कहा, 'एकल अभिभावक या एआरटी से मां बनी अविवाहित महिला के अधिकार को स्वीकार किया गया है, ऐसे में पिता के नाम के उल्लेख की जरूरत, जिसे गुप्त रखा जाना चाहिए, उसकी निजता, स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है।' यह फैसला अदालत ने एक तलाकशुदा महिला की याचिका पर सुनाया जिसने 'इन विट्रो फर्टिलाइजेशन' (आइवीएफ) प्रक्रिया से गर्भधारण किया था और केरल जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 1970 में पिता की जानकारी देने संबंधी नियम को चुनौती दी थी। महिला ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि पिता के नाम का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि शुक्राणु दानकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है और यहां तक उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा पिता की जानकारी देने की जरूरत उनकी निजता, स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। महिला ने पिता के नाम का कॉलम खाली रखकर प्रमाण पत्र जारी करने के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि यह भी उनके सम्मान, निजता और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

छत्तीसगढ़ में तीन नक्सली गिरफ्तार

रायपुर, 16 अगस्त (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि जिले के कुआकोंडा थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने तीन नक्सली हुंगा करटाम (25), आयता माड़वी (25) और पोज्जा उर्फ लाठी करटाम (28) को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार को कुआकोंडा थाने से पुलिस दल को बड़ेगुडरा और ऐटेपाल गांव की ओर रवाना किया गया था। जब दल ऐटेपाल गांव के करीब पहुंचा तब वहां से तीन संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे, जिसे पुलिस दल ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस दल की पूछताछ में उन्होंने अपना नाम हुंगा करटाम, आयता माड़वी और पोज्जा उर्फ लाठी करटाम बताया।

वायनाड में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मिली टीके की पहली खुराक

तिरुवनंतपुरम, 16 अगस्त (भाषा)।

वायनाड केरल का पहला जिला बन गया है जहां 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की सराहना की जो जिले में 18 साल के ऊपर की आबादी के टीकाकरण प्रक्रिया में शामिल थे। जॉर्ज ने कहा, 'केरल के वायनाड जिले ने 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र आबादी को टीके की पहली खुराक दे दी है। वायनाड जिले की विशेषता यह है कि यहां आदिवासी आबादी अधिक है और मैं उन सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सराहना करती हूं जो टीकाकरण प्रक्रिया में शामिल थे और अब भी हरसंभव तरीके से इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं।' यह उपलब्धि राज्य में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने सोमवार को यहां पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के दौरे से पहले हासिल हुई है।

प्रपत्र – 'जी' (संशोधित)
अभिरुची की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क(1)के अधीन)

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स इंटरनेशनल कॉइल लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	02.07.2004
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज- दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान/संख्या सीमित दायित्व पहचान संख्या	U29192DL2004PLC127325
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजी.कार्यालय: ए-21/24, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज II, नई दिल्ली-110028, कॉर्पोरेट कार्यालय: बिल्डिंग 9बी, 7वीं मंजिल, साइबर ग्रीन, डीएलएफ सिटी, फेज 3, गुड़गांव – 122010
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	16.12.2019 (आदेश की प्राप्ति की तिथि 10.01.2020)
7.	अभिरुची की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	17.08.2021 (रुचि की अभिव्यक्ति के लिए विस्तृत आमंत्रण WWW.LLCAIRP.COM से डाउनलोड किया जा सकता है)।
8.	संहिता की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यता:	WWW.LLCAIRP.COM
9.	धारा 29क के अधीन अयोग्यता के मानदंड यहीं पर उपलब्ध हैं:	WWW.LLCAIRP.COM
10.	अभिरुची की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	31.08.2021
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	08.09.2021
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	13.09.2021
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	23.09.2021
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	13.09.2021
15.	समाधान योजना हेतु अनुरोध, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि	ईमेल के माध्यम से अनुरोध पर ICL.RP@LLCA.NET
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	13.10.2021
17.	रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को समाधान योजना दाखिल करने की विधि	स्पीड पोस्ट द्वारा, सीलबंद लिफाफे में व्यक्तिगत रूप से क्रमांक 21 पर दिए गए पते पर या एक ईमेल के माध्यम से ICL.RP@LLCA.NET पर
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	05.11.2021
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	शालू खन्ना IBBI/IPA-001/IP-P00917/2017-2018/11523
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	शालू खन्ना ए-16/9, वसंत विहार, नई दिल्ली-110 057 SKHANNA@LLCA.NET
21.	पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	लूथरा एंड लूथरा रिस्ट्रक्चरिंग एंड इन्सॉल्वेंसी एडवाइजर्स एलएलपी ए-16/9, वसंत विहार, नई दिल्ली-110 057 ICL.RP@LLCA.NET
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	ICL.RP@LLCA.NET पर ईमेल के माध्यम से अनुरोध करने पर
23.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	17.08.2021

*संशोधित फॉर्म जी माननीय एनसीएलटी के दिनांक 09 अगस्त, 2021 के आदेश के अनुसार प्रकाशित किया गया है।

शालू खन्ना
पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P00917/2017-2018/11523
ए-16/9 वसंत विहार, नई दिल्ली -110057
मैसर्स इंटरनेशनल कॉइल लिमिटेड के लिए

दिनांक: 16.08.2021
स्थान: दिल्ली

नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट-IVA) (नियम 8(6))

कर्जदार/रों से बकाया राशि की वसूली हेतु वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का इण्डिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा यहाँ नीचे उल्लिखित प्रतिभूत आस्ति का कब्जा लेने के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा, जो कब्जे के अधीन है, "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति के क्रय हेतु मुहरबन्द लिफाफों में प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं जिसके विवरण निम्नलिखित हैं :

कार्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	भौतिक कब्जे की तिथि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि
1) श्री दानिश सैफी, 2) श्री मोहम्मद हबीब (प्रॉस्पेक्ट नं. 826355)	15-नव.-2018 रु. 19,42,291/- (रुपये उन्नीस लाख बयालीस हजार दो सौ इक्यानवे मात्र)	17-सित.-2020 10 अगस्त, 2021 तक कुल बकाया रु. 28,03,540/- (रुपये अट्ठाईस लाख तीन हजार पाँच सौ चालीस मात्र)	प्लॉट सं. 18, अन्दुरुन चंदा कॉलोनी, मथुरा बांगड़, निकट नवनीत नगर, तहसील एवं जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश के भाग पर निर्मित मकान की सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग (क्षेत्रफल : 450 वर्ग फीट)	रु. 17,00,000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 1,70,000/- (रुपये एक लाख सत्तर हजार मात्र)	01-सित.-2021 1100 बजे - 1400 बजे प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि : 03-सित.-2021 को 5 बजे अप. तक नीलामी की तिथि/समय 06-सित.-2021 1100 बजे-1300 बजे

सम्बन्धित शाखा : आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड, ओजल मॉल, 3, प्रथम तल, 167-181, ई, बीबी कॉम्पलेक्स, सामने होटल मुकुन्द पैलेस, मथुरा, उत्तर प्रदेश 281001 (सम्पर्क व्यक्ति : मुनि प्रधान @ 9873478000)

1. अचल सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि 1 अगस्त, 2021 को 1100 बजे - 1400 बजे तक है।
2. ईएमडी सहित निर्धारित निविदा प्रपत्र में मुहरबन्द प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि 3 सितम्बर, 2021 को 5 बजे अप. तक शाखा कार्यालय के पते पर है।
3. सम्पत्ति हेतु प्रस्ताव के खुलने की तिथि 6 सितम्बर, 2021 को उपर्युक्त शाखा कार्यालय पते पर 1100 बजे-1300 बजे तक है। निविदा अधिकृत प्राधिकारी की उपस्थिति में खोली जायेगी।
4. सूचना में बकाया राशि पर ऋण अनुबन्ध के अनुसार यथाप्रयोज्य भावी ब्याज प्रभारित किया जायेगा तथा आकस्मिक व्यय, लागतें आदि किसी आकस्मिक प्रभारों को छोड़कर इसकी वसूली तक बकाया एवं देय हैं।
5. एतद्वारा कर्जदार तथा जमानती को सूचना दी जाती है कि वे बिक्री के समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें और वे बिक्री के नियम एवं शर्तों के विवरणों के अनुसार यहां ऊपर वर्णित अचल सम्पत्ति की खरीद हेतु इच्छुक क्रेता/क्रेताओं को ला सकते हैं।
6. कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम (1) के उपनियम 9 के तहत 15 दिवसीय बिक्री सूचना दी जाती है कि वे नीलामी तिथि से पूर्व उपर्युक्त राशि अदा कर दें जिसमें असफल होने पर अचल सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और शेष, यदि कोई हो, ब्याज एवं लागतों सहित वसूल किया जायेगा। यदि कर्जदार बिक्री की तिथि से पूर्व पूर्ण रूप से आईआईएफएल होम फाइनेंस को बकाया राशि अदा कर देता है तो नीलामी रोक दी जायेगी।
7. ईएमडी गुरुग्राम में देय "आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में डीडी के माध्यम से देय होगा और इसे सम्बन्धित शाखा/कॉर्पोरेट कार्यालय में जमा करना होगा।
8. एतद्वारा उपर्युक्त कर्जदारों से घरेलू वस्तुएं 7 दिनों के भीतर हटाने की सूचना दी जाती है जो भौतिक कब्जा लेते समय प्रतिभूत आस्ति पर पड़ी हुई हैं अन्यथा आईआईएफएल-एचएफएल इन परिस्थितियों में सम्पत्ति की किसी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
9. पुनः कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि यदि वे कथित उपर्युक्त वस्तुएं हटाने में असफल रहते हैं तो उसकी बिक्री कानून के अनुसार कर दी जायेगी।
10. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें निर्धारित निविदा प्रपत्र में संलग्न हैं। निविदा प्रपत्र उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर उपलब्ध है अथवा आप https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction का भी सन्दर्भ ले सकते हैं।
11. अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम संविदाकार को की जायेगी। हालांकि अधोहस्ताक्षरी को यदि आवश्यक प्रतीत हो तो इंटर-से बोली की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार है।
12. जो निविदाएँ पूर्ण रूप से नहीं भरी हैं अथवा अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होती हैं उन्हें अवैध निविदा माना जायेगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जायेगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
13. कम्पनी सम्पत्ति पर किसी उस दायित्व हेतु उत्तरदायी नहीं है जो कम्पनी के संज्ञान में नहीं है।

अधिक विवरण के लिए सम्पर्क करें : श्री मुनि प्रधान, मोबाइल : 9873478000, ई-मेल : muni.pradhan@iifl.com, कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा-122015.

तिथि : 17 अगस्त, 2021, स्थान : मथुरा

ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
शाखा कार्यालय: एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड, के एम प्लेस, 1ला तल, निकट होण्डा शोरूम झोटवारा, जयपुर, राजस्थान-302012

सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी बिक्री सूचना

कम्पनी के बकाये की वसूली के लिये "जैसा है जहाँ है आधार" तथा "जो भी वहाँ है आधार" पर उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्न ऋण खाताओं में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुसार एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्न सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

1. ऋणधारक/को एवं गारन्टर/रों का नाम एवं पता 2. कुल बकाया + ब्याज	सम्पत्ति का विवरण	1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति का ईएमडी
अशोका शूज एंड गार्मेंट्स शार्पर्स, शॉप नं.-66, न्यू संगनेर रोड, सोडला, जयपुर, राजस्थान-302017, साथ ही: पी.नं. 13, राधा कृष्ण कॉलोनी, राधा कृष्ण मंदिर के निकट, सोर्डला, न्यू संगनेर रोड, जयपुर-302019, मृदुला शर्मा, पत्नी राजेन्द्र कुमार शर्मा, पी.नं. 13, राधा कृष्ण कॉलोनी, राधा कृष्ण मंदिर के निकट, सोर्डला, न्यू संगनेर रोड, जयपुर-302019, राजेन्द्र कुमार शर्मा, शॉप नं.-66, न्यू संगनेर रोड, सोडला, जयपुर, राजस्थान-302017, साथ ही: पी.नं. 13, राधा कृष्ण कॉलोनी, राधा कृष्ण मंदिर के निकट, सोर्डला, न्यू संगनेर रोड, जयपुर-302019, खाता नं. 3066031 रु. 63,54,554.63 (शब्दों में: रुपये तिड़ेसठ लाख चौवन हजार पाँच सौ चौवन तथा पैसे तिड़ेसठ मात्र) 10 जून, 2020 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक आगे का अनुबंधित ब्याज।	प्लॉट नं. 13, राधा कृष्ण कॉलोनी, राधा कृष्ण मंदिर के निकट, सोडला, न्यू संगनेर रोड, जयपुर, माप लगभग 111.87 वर्ग यार्ड्स। बिक्री प्रलेख श्रीमती मृदुला शर्मा के पक्ष में, दस्तावेज सं. 201606016108216, बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 1046, पेज नं. 13 पर तिथि 3.10.2016, चौहद्दी: उत्तर: रोड, दक्षिण: अन्य भूमि, पूर्व: प्लॉट नं. 13 का भाग, पश्चिम: प्लॉट नं. 12	(1) ई-नीलामी की तिथि : 20.9.2021 को 10.30 बजे पूर्वा. से 11.30 बजे पूर्वा. तक 5 मिनट के विस्तार सहित। (2) केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि : 15.9.2021 को 5.00 बजे अप. तक। (3) निरीक्षण की तिथि : 13.9.2021 को 1.00 बजे अप. से 2.00 बजे अप. तक भा.मा.स.	(आईएनआर में): रु 6369230/- (रुपये तिड़ेसठ लाख उन्हत्तर हजार दो सौ तीस मात्र) ईएमडी राशि (आईएनआर में): रु 6,36,923/- (रु. छ लाख छत्तीस हजार नौ सौ तैईस मात्र)

इच्छुक बोलीदाताओं से आग्रह है कि शाखा में जाकर नीलामी की संपत्ति निरीक्षण करें तथा प्रभारों, अधिभारों की जानकारी प्राप्त करें। क्रेता अपने स्वयं की पूछताछ करें तथा अतिरिक्त प्रभारों, अधिभारों तथा सभी दृष्टियों पर किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी सांविधिक बकाए जैसे संपत्ति कर, बिजली बकाये तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य बकाए, यदि कोई हो का भुगतान सफल बोलीदाता/संभावित क्रेता को ही करना होगा। उनके स्वयं के हित में बोलीदाता/संभावित क्रेताओं से अनुरोध है कि अपनी बोली जमा करने से पूर्व उपरोक्त के संदर्भ में तथा संपत्ति से संबंधित अन्य विवरणों के विषय अपने स्वयं के हित में जांच करके संतुष्ट हो लें।

ऑन लाइन निविदा/ नीलामी के नियम एवं शर्तें

(1) यह नीलामी वेबसाईट: https://www.bankeauctions.com या Auction Tiger Mobile APP द्वारा 5 मिनट के आगे के विस्तार के साथ ऊपर तालिका में वर्णित तिथि को "ऑन लाइन ई नीलामी" बोली होगी।
(2) इच्छुक संविदाकार वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com (यूजर आईडी और पासवर्ड https://www.bankeauctions.com के साथ नाम के पंजीकरण द्वारा निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) पर अपने लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से ज.ध.रा. जमा करेंगे। ईएमडी उपर्युक्त खाते में एनईएफटी के माध्यम से देय होगी। वेबपोर्टल में संविदाकारों द्वारा पंजीकरण (एक बारगी) के पश्चात, इच्छुक क्रेताओं/संविदाकारों को संविदा दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व वेब-पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ अपलोड करनी होंगी-(i) एनईएफटी/आरटीजीएस चालान या डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रति, (ii) पैन कार्ड की प्रति, (iii) पहचान/पते का प्रमाण (केवाईसी) जैसे मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि की स्वप्रमाणित प्रति, जिसके बिना संविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी। विधिवत भरकर एवं हस्ताक्षर करने के उपरान्त परिशिष्ट II एवं III (जिसे वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com से डाउनलोड किया जा सकता है) की स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड करना अपेक्षित है। इच्छुक संविदाकार जो लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करने, डाटा अपलोड करने, संविदा जमा करने, ई-संविदा प्रक्रिया आदि का प्रशिक्षण लेने में सहायता चाहते हैं वे मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा.लि., उद्योग विहार, फेज-II, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग सं. 301, गुरुग्राम, हरियाणा, पिन 122015, ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com, सपोर्ट हेल्पलाइन नं. 124-4302020/21/22/23, 7291981124 क 1125 क 1126, बिक्री पूछताछ : sales@bankeauctions.com. 7291981129 तथा सम्पत्ति से सम्बन्धित पूछताछ के लिए अधिकृत प्राधिकारी श्री विकास आनन्द, मोबाइल नं. : 9711010384, ई-मेल आईडी : vikas.anand@hdbfs.com. जीतेन्द्र सिंह; मोबाइल नं. : 9983291777 ई-मेल आईडी : jitendra.rajawat@hdbfs.com तथा श्री विशाल रितपुरकर; मोबाइल नं. : 9833671006, ई-मेल आईडी : vishal.ritpurkar@hdbfs.com से सोमवार से शनिवार तक कार्य घण्टों के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।
(3) इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को ऊपर वर्णित तिथि एवं समय को (कृपया ऊपर तालिका में वर्णित विवरण देखें) "एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड" के पक्ष में देय पीएआर/जयपुर में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर द्वारा अथवा "HDBFS GENERAL COLLNS", खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड- HDFC0000021, एमआईसीआर कोड: MICR500240002, शाखा: लकडी का पुल, हैदराबाद की खाता में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) की राशि जमा करना होगा तथा https:// www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा सेवा प्रदाता से निशुल्क यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करना होगा तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को अधोलिखित दस्तावेजों की प्रतियों को अपलोड करना होगा: 1) एनईएफटी/ आरटीजीएस चालान/ डीडी/ पे आर्डर की प्रति. 2) पैन कार्ड की प्रति, तथा 3) आवास के प्रमाण (पास्पोर्ट, ड्राइविंग लाइसैन्स, वोटर आई-कार्ड या आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पंजीकृत लीव लाईसैंस अनुबंध) की प्रति जिसे ऊपर तालिका में वर्णित रूप में ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि को या पूर्व वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा तथा साथ ही उन्हें हार्डकॉपी ऊपर वर्णित शाखा में जमा करना होगा।
(4) बोली के साथ ऊपर वर्णित तिथि को या उससे पूर्व "एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड" के पक्ष में देय, पीएआर/जयपुर में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा या "HDBFS GENERAL COLLNS", खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड-HDFC0000021, एमआईसीआर कोड: MICR500240002, शाखा: लकडी का पुल, हैदराबाद की खाता में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी (आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर) को संलग्न किया जायेगा।
(5) विधिवत रूप से नहीं भरी गई अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त की गई बोलियों को अवैध माना जायेगा तथा तत्काल निरस्त किया जायेगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। बोलीदाता द्वारा एक बार बोली जमा कर देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई ईएमडी आगे उपचार के बिना जब्त कर ली जायेगी। लेकिन, असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी।
(6) जमा की गई बोली राशि रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की वृद्धि मूल्य के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर होगी तथा बोलीदाता रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव के सुधार कर सकते हैं। सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
(7) सफल बोलीदाता को तत्काल किन्तु अधिकतम अगले कार्य दिवस तक "एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड" के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट जो पीएआर/दिल्ली में देय हो अथवा "HDBFS GENERAL COLLNS", खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड-HDFC0000021, एमआईसीआर कोड: MICR500240002, शाखा: लकडी का पुल, हैदराबाद की खाता में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा 25% बिक्री मूल्य (ईएमडी सहित) का भुगतान करना है तथा शेष बिक्री मूल्य का भुगतान सफल बोलीदाता को कम्पनी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता द्वारा प्रदत्त ईएमडी के ही साथ बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता बिक्री की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं अथवा कोई चूक करते हैं तो जमा की गई ईएमडी या 10% बिक्री मूल्य, जैसा भी मामला हो, जब्त कर ली जायेगी।
(8) बिक्री की शर्तों के अनुपालन पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में "बिक्री प्रमाणपत्र" जारी किया जायेगा। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण चार्जेज, कान्वीयन्यस, टीडीएस आदि से संबंधित सभी खर्चे का वहन क्रेता को ही करना होगा।
(9) यह कम्पनी प्रस्तावित सम्पत